मैसर्स धरतीधन एक्सपोर्ट, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 23.09.2024 प्रातः 11.00 AM बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र गुपड़ी, ग्राम– हरियाव, तहसील–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 21.08.2024 एवं स्थानीय समाचार पत्र जय राजस्थान में दिनांक 21.08.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई "**मैसर्स धरतीधन एक्सपोर्ट**" द्वारा प्रस्तावित **क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार** खनन परियोजना (**एम. एल.न. 141/2010** (लीज क्षेत्र 4.00 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 43.83 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 8,15,040 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 178572 TPA निकट ग्राम–हरियाव, तहसील–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 01/– करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी. डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 02.08.2022 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मनीष कुमार वर्मा द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (परिशिष्ठ "स" में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ठ "द" में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्री महेन्द्र सिंह चौहान – ग्रामवासी :–

सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी तक जितने आपने पॉईंट बताए है सारे जैसे कि स्कूल के बारे में बताया, पेयजल के बारे में बताया। आपने फास के बारे में बताया। एटलिस्ट जो मजदुर वहां काम कर रहे है उनके बारे में जो सुविधा बताई है और जो पेड़ लगाने के आज कितने साल से जसपुरा में माईन्से चल रही है आप सब यहां ग्रामवासी बिराजे हुए है। अगर वहॉ माईन्सो की तरफ से अगर पाँच पेड़ भी बड़े बड़े चल गए हो तो बताना कहीं रास्ते पे कहीं सार्वजनिक जगह पे या पंचायत मुख्यालय या स्कूल मुख्यालय पे कहीं पे भी लगाए हो तो आप बताओ और जहॉ मिट्टी उड़ रही है वहॉ कही पानी डाला हो तो भी बताओ ठीक है और हरियाव में कब से माईन्से चल रही है और इस माईन्स के लिए पहले भी ऑब्जेक्शन हुआ अभी जो माईन्स का आपने जो विवरण बताया सर अब सभी लोग इन माईन्सो से परेशान है सबका यह कहना है कि आप नई माईन्स का लिज और यह जो कह रहे है इनके हरित जो मैसर्स धरतीधन एक्सपोर्ट यह नई माईन्स के लिए पर्यावरण स्वीकृती हमारी तरफ से सर उसको स्वीकृती नहीं दे। आप यह निवेदन है ऐसा मैं भी पाँच साल सरपंच रहा पहले पांडूमाता वहां तक पूरे पेड़ हमने पंचायत से लगाए और भी कहीं पे भी लगाए तो पंचायत से लगाए अभी भी गोपाल जी यह जो सरपंच प्रतिनिधी यह जो बैठे है उनसे पूछ सकते है। आप ऐसा कोई काम इन माईन्सो वालो ने नहीं किया कि आस–पास के लोग, ग्रामवासी उनसे संतुष्ट हो और यह भी मोटा मोटी हम लोग तो क्या सोशल मिडीया के माध्यम से पता है कि आज यहां पंचायत में प्रोग्राम है, इस वजह से आ पाए लेकिन जो आम नागरिक है गॉव के जो लेडीज माताएँ–बहने है हम से ज्यादा पूरे दिन गांव में वो रहती है उनको पता है

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उनको पूरे दिन क्या दिक्कते जेलनी पड़ती है, माईन्स की वजह से और जो सर एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो भी आप अधिकारी है खनन विभाग से तो इन माईन्सो के चलने का समय है या फिर वो रात भर चौबीस घंटा चलेंगे जैसे खण्डे फोड़ते है, यहां बाहर रात को फोड़ते रहते है तो पूरी रात खड़ खड़ खड़ जैसे यह किशनसिंह जी दाता बैठे है पास में जसपुरा हरियाव वाले आपको और मंदेरिया वाले तो पूरी रात सर यह ब्रेकर से खण्डे फोड़ते है। अब बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे दिन में तब भी फूटते है जसपुरा स्कूल आगई, मन्देरिया स्कूल आ गई, यह अपने गुंपडी स्कूल आ गई, हरियाव स्कूल आ गई, यह सब इन माईन्सो के पास में पड़ती है तो चौबीसो घंटे खण्डे फूटते रहते है। चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ माईन्स का ऐसा काम जो उससे बच्चे भी पढ़ने में और इस ध्वनी प्रदुषण से कॉफी परेशान है और जैसे कोई अब तो चलो इन माईन्सो में होल नहीं होता है सिमेन्ट फैक्ट्री वाली बात यहां नहीं कर रहे है। बाकी हरियाव में जो माईन्से है फैल्सपार की उन सभी भी होल करते है वो लोग, होल करने से और कॉफी माईन्स वालो नं ऐसे लिज एरिया उन्होने मार्क, डिमार्केशन नहीं कर रखा है और नदी जो पेटा है हरियाव में जो हरियाव की जो माईन्से चल रही है जो नदी जा रही नाला जा रहा है पूरा उस नाले में भी कॉफी चट्टाने उन्होने फोड़ दी है कॉफी सारे खनन कर रखा है तो ऐसा कोई है प्रावधान आपके माईन्स इसमें लिज जो नाले में भी अपन लिज दे सकते है कर सकते है क्या?

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

पहले मैं आपको एक चीज जानकारी देता हूँ कि अभी हम यहां कोई डिसिसन लेने नहीं बैठे है, मतलब अभी हम क्या कर रहे है आप लोगों के लो ग्रीविन्सेस है वो रिकार्डिंग हो रही है, रिकार्डिंग उसको आगे भेज रहे है जब तक कि वो यह माईन्स वाला इस एरिया के लोग संतुष्ट नहीं करेंगे इसकी पब्लिक हियरिंग नहीं होगी सो सॉरि Environment Clearance नहीं होगी, मतलब यह इनको लेटर ईशु होगा सेटिस्फेक्ट्री है तो आपकी रिप्रेसेन्टेशन है मेरे हिसाब से आपने बोली कॉफी चीजे है कुछ लिखित में आपने कभी दिया है या कुछ देना चाह रहे है।

श्री अमर सिंह– ग्राम हरियावः–

मैं इन माईन्सो से गले तक भर चुका हूँ हमारे मवेशी चरने जाते है तो खड्डे कर रखे है जो उसकी वजह से पानी में गिर जाते है मर जाते है कितने मवेशी तो मर गए है। माईन्स वालो को जाके पुछो तो नो की जाओ आगे जाओ हमारी कोई सुनने वाला नहीं है वहां पे वो दादागीरी करते है तुम्हारे जो भी हो हम गरीब आदमी रह गए हम किसके पास जाए– जाए तो आगे से किसी का फोन आ जाता है, आप ग्रीन पट्टी या रेड पट्टी आप जो बता रहे हो उससे किसी तरह का हमें कोई फायदा नहीं है, ना पेड़ लगा रहे है पोड़ो की बहुत सी बौछार हो रही है। हम निकलते भी बहुत बड़ी मुश्किल से आ रहे है। हमारे यहां 35 माईन्से चल रही है। शायद 35 पेड़ भी किसी ने लगा दिए हो तो ना तो हम यह कहते के

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लिए नहीं आते न तो स्कूल बेग दिया गया न कोई दवाई दी गई न कोई पानी की सुविधा है हमारा वॉटर लेवल है जो गहरा होता जा रहा है इतने बड़े बड़े ब्लास्ट कर रहे है हमारे मकानो में दरारे आ रही है ईवन कि हमारे स्कूल की छत है जो झर–झर अवस्था में हैं जिस दिन ब्लास्ट की वजह से गिर गई तो आप ही अधिकारीगण पधारेंगे फिर उसका मौका मुआएना करेंगे इसके लिए सर से निवेदन है कि इस माईन्स के लिए नई माईन्स को नहीं देने का कष्ट करे तो उसी में ज्यादा बढ़ीया होगा तो उसके लिए हमारे को जो भी आंदोलन करना पड़े फिर हम आगे जा के भी मैंने जैसे जनसुनवाई में कलक्टर महोदय आए उसमें मैंने लिख के दिया हमारा प्राकृतिक नाला अवरूद्ध कर दिया 6 महिने बाद कोई माईनिंग सो आता है तो बोले यहां पे कौन सा प्राकृतिक नाला अवरूद्ध कर दिया वो तो पानी निकाल दिया गया, तो क्या हमारा जो प्राकृतिक नाला था उसका समस्या यही है कि बस आके यहां से साईन कराके लेके जावे, बड़े–बड़े ब्लास्ट होते है इनकी वजह से रात की 10 बजे 11 बजे पूछो तो कहे तुम्हारे में हो दम जो कर लेना। हम अभी जसपुरा के लिए एक सर हमारे आबादी क्षैत्र में भी माईन्स लिज कर दिया तो बोले तुम्हारे इतने से आबादी के लिए हम हमारी लिज केन्सल थोड़े ही करेंगे तुम जाके कहीं दूसरी जगह बस जाओ यह सर हमारे मवेशी अन्दर गए तो उसके लिए बोलते है कि आप तो वो बोल लिज है उसकी वो नहीं चरने देगा तुम्हारे मवेशी को घर पे बांध के रखो इसीलिए हमारे को यह माईन्स फायदा देगी बस धन्यवाद सर।

श्री रघुवीर सिंह चौहान – ग्राम गुंपड़ी :–

माईन्स के बारे में पहले भी यहां एकबार हरियाव में एन.ओ.सी. के लिए आए थे उस समय भी यह बहुत सारे आपके जो अब यह विडियो रिकोर्डिंग बताई हम यह यह करते है हम सिर्फ जितने भी फायदे है सिर्फ एन.ओ.सी. के लिए आते है उस समय उसी कम्प्यूटर पे बताते है स्क्रीन में उसी समय सुनते है और देखते हे उसके बाद इस क्षैत्र पे ना तो कुछ पहले हुआ है ना कोई अधिकारी आता है ना कोई होता है इस क्षैत्र में जसपुरा में माईन्से चल रही है हरियाव में भी चल रही है न कभी कोई माईन्स वाले ने अपने किसी फंड से न तो कोई स्कूलो का विकास किया है ना ही कोई पेड़ लगाए है कुछ भी नहीं और वहां जो बसे हुए आबादी क्षैत्र है अगर उनको जो खातेदारी जमीने है उनके आस पास उनका कोई पशु जाता है या ऐसा कुछ बच्चे या बुढ़े जाते है तो उनको डराया धमकाया जाता है और एक तो यह पॉईन्ट दूसरा बात यह है कि इनको आप जो लिज देते है माईन्स की इनकी लिज है मान लो एक हैक्टर में है ये दो हैक्टर पे कब्जा कर लेते हे इनका जो भी क्षैत्र आ रहा है यहां पत्थर निकल गया तो ठीक यही हो रहा ना सब जगह यहां पत्थर निकल गया तो ठीक नहीं तो यहा आगे खोद देते है। आगे निकल गया तो ठीक और आगे चले जाते है और अगर गाँव वाला ऑब्जेक्शन करे तो उनको डराया जाता हे कि हमारी पूरी लिज है अब गाँव वाला गरी आदमी कहां जाके ऑब्जेक्शन करेगा किसको बोलेगा और इतने पत्थर डाल दिए अवैध रूप से।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इसमें मैं इनट्रप्ट कर रहा हूँ आपको आप क्या प्रेसेन्टेशन है ना उसमें जिस माईन्स की आप बात कर रहे है उसका नाम जरूर लिखे मतलब यह क्लियर हो जाए कि भाई किसने अवैध खनन कर रहा है और किसकी ब्लास्टींग हो रही है वो आप नाम से कर दे हम इसको आगे यह हम खनन डिपार्टमेन्ट से नही है वो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे पूरा।

श्री रघुवीर सिंह चौहान ग्रामवासीः–

आप माईनिंग विभाग से है?

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

नहीं माईनिंग विभाग से यहों कोई नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह चौहान ग्रामवासीः–

कोई नहीं आया हम माईनिंग विभाग में भी हम पहले गए थे वहां एप्लीकेशन दे के आए हमने उनको कहा आप इन माईन्सो की सीमा जानकारी करवा दो जो चल रही है उनकी अभी तक कोई सीमा जानकारी नहीं उनके यहां माल निकलता है यहां खोद दिया दस साल फिर आगे चले लाते है अब गॉव वाले कया सोचेंगे कि इनका एरिया कहां है और न कोई विकास है कुछ नहीं, फिर आप यह देखिए कि पानी का इनके गहराई का जो मीटर होता होगा ना कि इतने मीटर तक यह गहराई करेंगे उसकी भी कोई सीमा नहीं है आपका जो क्राईटेरिया है विभाग का उससे भी इन्होने गहरे गहरे गड्डे कर दिए है आज माईन्सो में पानी भरा हुआ है लेकिन इस गाँव में सब तरफ कुएँ सुख गए है ट्यूबवेल सुख गए है हैण्डपम्प सुख गए है क्योंकि उन्होने आपकी जो लिमिट है ना उससे चार गुणा गहरा खोद दिया है पानी उन माईन्सो में भरा हुआ है और गॉव में सब कुएँ सुख गए हैं आपके जितने भी नियम कानून सिर्फ बताने के लिए है ना कि वो नियम कानुनो पर यह कोई भी माईन्स वाले वहां काम नहीं करते है, हमने तो देखा है ना हम तो पैदा ही यहीं हुए है इसी क्षैत्र में यही देख रहे है सब कुछ शुरू से देख रहे है फिर आपने वो बता रहे थे कि जो ट्रके निकलती है जो माल जाएगा उस पर ढंक के ले जाऐंगे हमने तो कभी आप चलीए कोई पचास ट्रके निकलेगी एक पर भी किसी पर तरपाल लगा हुआ हो किसी ने आपने देखा हो तो बताओ किसी पर कोई तरपाल नहीं है ऐसे ही ले जाते है और मिट्टी उड़ती है दिन भर जाते आते है पचास जनो को और बचके निकलना पड़ता है। इस क्षैत्र में कई कितनी सारी दुर्घअना हो गई हैं इन ट्रको से बिल्कुल कोइ न तो कोई इनकी कोई लिमिट है कुछ नहीं है इसलिए साहब हमें हमारी यह सब चीजे कोई क्लियर नहीं हो तब तक आज आप इस पर कोई प्रोसेस नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री लक्ष्मण सिंह देवड़ा– ग्रामवासीः–

यह एक माईन्स से सम्बन्धित एक्सीडेंटल मामला है जो हाल ही में हुआ है एक गरीब वो रामलाल करके सर सामने खड़ा है उसका बच्चा यहां से पांडुमाता की तरफ जाता है रास्ते में खुली माईन्स है एक भी माईन्स ऐसी नहीं हे जिसके चारदीवारे है इस वजह से वो आज बच्चा अन्दर घुस गया और 14 साल की उम्र का बच्चा मर गया। न तो इसको किसी माईन्स वाले ने आज दिन तक सुध नहीं ली सर। मैंने एफ.आई.आर. कराई पोस्टमार्टम है सब हे अब उसमें शायद क्या हुआ कि उसको कोई सरकार की तरफ से आर्थिक राशि भी मिलती है तो उसको क्या है कि थाणे से डोक्युमेन्ट समय पे अवेलेबल नहीं हुआ उस हिसाब से उसको पेमेन्ट भी साहब अभी तक मिला तो एक तो साहब यह है दूसरी साहब यह माईन्स जो माईन्स लिज के लिए आप तक आ गए आज जब सुनवाई हो रही है सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो एक भी अधिगण जैसे सरपंच साहब को फोन आया है उसके अलावा मेरे को भी अभी तक सूचना नहीं है कि आज यह प्रोग्राम होने वाला है सर सबसे बड़ी बात है दूसरी बात यह एक थी पीछे से किसी को खड़ा करके बोलते इनको मालूम है आज ग्राम पंचायत में यह प्रोग्राम होने वाला है ठीक है सर।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपके यहां मुनादी नहीं हुई क्या, मुनादी नहीं हुई कया कोई टेम्पो नहीं चला क्या?

श्री लक्ष्मण सिंह देवड़ा ग्रामवासी :–

कोई टेम्पो नहीं चला एक भी विडियो बता दो आप गुपड़ी स्कूल की पंचायत के बाहर कोई टेम्पो चला हो तो, यह सर कहां का है, किस जगह कब का है हमने तो नहीं देखा सर शनिवार, रविवार को तो मैं यहीं रहता हूँ, अरे सर मैं कह रहा हूँ कि मैं गुपड़ी का ही हूँ चलो आपका टेम्पो सर मान लिया टेम्पो चला टेम्पो रोड़ पे बहुत सारे टेम्पों सर ऐसी कोई बात नहीं दो मिनिट खडा करके आप, एक मिनिट सर हां यह दिख रहा है चुपचाप जा रहा है कहीं चलता।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

नहीं यह पूरा माईक के साथ है।

श्री लक्ष्मण सिंह देवड़ा ग्रामवासी :–

सर कोई बात नहीं सर मैं यूँ कह रहा हूँ मैं खड़ा हूँ ना आपके सामने मैं खुद कह रहा हूँ मैं उपसरपंच हूँ यहां का मैं आपको कह रहा हूँ मुझे जानकारी नहीं है, सर में क्या कह रहा हूँ मैं मेरे को जानते हो आप नहीं जानते हो मैं उपसरपंच हूँ मैं खुद के रहा हूँ मुझे मालूम नहीं नहीं है, ठीक है सर सबसे बड़ा आज जो एस.डी.एम. साहब आए है उनको सर को तो सुनाना है क्योंकि हमारी परेशानी हम सर को नहीं बताऐंगे तो कैसे पता चलेगा और हमारे लिए पूरी तहसील के मालिक है सर को तो बताना पड़ेगा

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

तो सर यह हमारे ग्राम पंचायत गुपड़ी के हरियाव गॉव में फैल्सपार की यह माईन्स जो चल रही है इसमें सर ना तो किसी ग्रामवासी को किसी प्रकार की कोई सूचना है न कुछ नहीं सबसे पहली बात ग्राम पंचायत को सर यह जो फस्ट में सर्वे करने आते है ग्राम पंचायत को सूचना तो करते है या नहीं करते या कोई प्रावधान नहीं है ऐसा आपने किसी सरपंच साहब को या किसी वार्ड पंच को किसी सूचना करवाई क्या कि यह इस तरह की माईन्स के लिए लिज के लिए आवेदन कर रहे है जमीन नापने आ रहे है पाँच साल हो गए है सर यह कम से कम हमें भी यह पाँच साल पूरे होने आए तो हमने तो नहीं देखा एक भी दिन कि आज यह तो पब्लिक हियरिंग है इसलिए पता चला कि सर यह माईन्स भी हो रही है और सर हमारे क्षैत्र में इतनी माईन्से हो गई है बिना एन.ओ.सी. के मैं तो कह रहा हूँ हमारे पंचायत में यह सरपंच साहब जन प्रतिनिधी उनके लड़के है इनको पूछो आप एक भी किसी माईन्स वाले को हमने एन.ओ.सी. नहीं दी सर यह साहब खड़े साहब हमें सूचना ही नहीं है। सर सबसे एक तो निवेदन आपसे है साहब यह एप्लीकेशन पे साहब मार्क करके सहायक राशि दिलावे और दूसरी बात है आज जो पब्लिक हियरिंग हो रही है उसमें हम किसी प्रकार से सहमत नहीं है ठीक है सर क्यूंकि हमारे क्षैत्र में किसी प्रकार का किसी माईन्स ने एक भी फायदा नहीं किया मुझे एक भी ऐसा कोई आपके प्रदुषण विभाग से भी देख लेते है अपन एक भी ऐसे कोई अधिकारी आके हमें आज दिन तक नहीं मिला कोई किसी ने नहीं कहा कि भई आपके क्षैत्र में किस किस प्रकार का खनन हो रहा है और इस तरह के आपके क्षैत्र में यह यह नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई कर जाए आज सर एसडीएम साहब को हम लेके जाऐंगे हमारे स्कूल की घटना दिखाऐंगे अभी सर इतनी बड़ी छत है पूरी छत लटक रही है सर हादसा हो जाता बीच में अब ये बारीश की वजह से बच्चों को सर है जो ग्राउण्ड में पढ़ा रहे है यह किसी वजह से हो रहा हे माईन्स पे पत्थर फोड़ रहे है ना सर उस वजह से सारा खनन से हो रहा हे इस प्रकार से हम बिल्कुल सहमत नहीं है कुल मिला के।

श्री पवन सिंह चुण्डावत ग्रामवासी :–

आदरणीय एसडीएम महोदय साथ में पधारे प्रदूषण बोर्ड के जो भी अधिकारीगण है समस्त पूर्व और वर्तमान जब प्रतिनिधी, मैं अभी वर्तमान पंचायत समिति का मेम्बर हूँ गुपड़ी और नान्देल दो पंचायत से आदरणीय से यह कहना चाहता हूँ कि आप इनको जन सुनवाई करके एन.ओ.सी. दीजिए भले ही हमारे इनको लिज कर दीजिए पर अभी अपन चलते है 33 माईन्स जो अभी चल रही है वर्तमान में एक माईन्स वाले का आप बता दो कि उसने कोई रूल्स रेग्युलेशन जो आप बता रहे हो जितना नोर्म्स होता है कि स्कूल में स्कूल का जो भी अभी आपने बताया पर थोड़ा थोड़ा मुझे जो जानकारी है मैं बताता हूँ स्कूल का जो छत वत है जो भी उनके सी.एस.आर. का पैसे एक पेड़ लगाना एक ट्री गार्ड या एक पेड़ किसी माईन्स वाले ने लगाया हो तो अभी अपन चलते है देख लेते है। आराम से आप इनको एन.ओ.सी. दीजिए पर्यावरण की एन.ओ.सी. दीजिए स्वीकृती दीजिए हमारे इस पंचायत को चारों तरफ से माइन्स वालो, फैक्ट्री वालो ने खोखला कर दिया चार–चार पाँच–पाँच फैकट्रीयां हमारे 600 घरों की आबादी है हमारे जसपुरा,

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

हरियाव में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीयां धड़ल्ले से पत्थर पीस रहे है न पंचायत की एन.ओ.सी. है हमारे वहां के लोगों का पानी खराब कर दिया वॉअर लेवल डाउन हो गया हमारी जो हवा हे वो उन्होने पत्थर पीस के उनसे वो धुल मिट्टी के घुबार उठ रहे हे वहां हम जाते है हमने एन.ओ.सी. के लिए पूछा भी होगा तो बोलते है कि एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं हे तुम्हारे पंचायत की एन.ओ.सी. की कोई जरूरत नहीं है हम बड़े लोग है और हम कभी भगवान के लिए हजार रूपये भी वहा कहते है कि चंदा दो या स्कूल में एक छोटा सा आर. ओ. भी लगा दो या कुछ लगा दो तो वो यू कहते हे हम तो पाँच सौ रूपये भी नहीं देने वाले क्योंकि हम तो बहुत रसूखदार है और हम आपसे डरने वाले भी नहीं इधरा सुबह उठते ही सिमेन्ट फैक्ट्री का धमाका हो जाता हे जिससे हमारे आबादी के लो गॉव है उनके बेचारे एक एक रूपये जोड़के पैसे इकट्ठा करके 10–15 लाख का मकान बनाते है छत के बीच में दरार पड़ जाती है रोज गिर जाता है और वो भी इतने प्रभावशाली लोग है कि बेचारे एक साल से उनको कोई मुआवजा नहीं मिला।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

यह जो माईन्स है सिमेन्ट वाली कितना दूर है यहां से, कितना होगा आप जो यह बात कह रहे है यहाँ तक तो रीपीट बात हो रही हे आप एक रिक्मेनडेशन बना के जो यह रिटर्न में कह दे मतलब आप बोलिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ यह पूरा रिटर्न में दे मतलब जो जो आप कहना चाह रहे हैं ना वो रिटर्न में दे।

श्री पवन सिंह चुण्डावत ग्रामवासी :–

मैं यू कह रहा था चारों तरफ पंचायत को खोखला कर दिया इन लोगों ने।

श्री रमेश बहेड़िया जी, एस.डी.एम.साहब :–

सीआर साहब एक मिनिट बेसिकली यह जो पब्लिक हियरिंग रखी गई है इसका मुल कर्तव्य यह है कि यह जो पॉच माईन्से इस B2 क्षैत्र में आ रही है इनको Environment Clearance प्रशासन देगा आप जो समस्या बता रहे है वो प्रजेन्ट माईन्सो से है या अभी जो चल रही है क्रशर से है, मेरा मतलब समझिए आप बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं यह कहना चाह रहा हूँ की आप।

श्री पवन सिंह चुण्डावत ग्रामवासी :–

वो माईन्स भी वर्तमान बन जाएगी जैसे आप एन.ओ.सी. दोगे ना तो वो वर्तमान हो जाएगी आप अभी आए हुए हे आपके बाद कोई आने वाला नहीं है आप जेसे ही एन.ओ.सी. दोगे उनकी लिज हो जाएगी फिर वो वर्तमान बन जाएगी फिर वो वर्तमान बन जाएगी फिर आप वापस नहीं आओगे। फिर आप एक साल बाद आओगे।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री रमेश बहेड़िया जी, एस.डी.एम.साहब :–

मेरी बात सुनीये आप सुने तो आपका जो फोकस है आप यह विडियोग्राफी करने का उद्देश्य भी यही है कि यह जो पॉच माईन्सों से रिलेटेड जो Environmental समस्याएं आ सकती हे आप यह बताए तो इसमें जयादा आपके लिए फुर्टफुल रहेगा आपके जो भी ऑब्जेकशन होंगे उनको रीमुव करने के बाद चीजे होगी पब्लिक हियरिंग कराने का मतलब जेसे आज यह उमेश मेघवाल की डेथ हुई है इसका इस माईनिंग हियरिंग से लेना देना नहीं अब यह तो में वैसे ही फॉरवर्ड करवाऊंगा दिककत नहीं मेरा आपका यह रखो कि साहब यह यहां पॉच माईन्सों का Environment Clearance देने से यह समस्याएं होगी और हमें उसका समाधान सबसे पहले चाहिए।

श्री पवन सिंह चुण्डावत ग्रामवासी :–

सर समस्याऐं ऐसे होगी आज के बाद आने वाले 5–10 सालों के बाद हमारे बच्चे पैदा होंगे वो गुंगे, बहरे पैदा होंगे या फिर आँखे उनकी कमजोर हो जाएगी, किसी को सुनाई नहीं दगा क्योंकि इतनी धुल मिट्टी उड रही है ना ओर चारों तरफॅ कोइ भी पेड़ पौधा लगा नहीं रखा है आपके जो नियमानुसार जो पेड़ पौधे अब उनके नोर्म्स में जो है वो लगाने पड़ते है वो कोई लगा नीं रहा है फिर उनको स्वच्छ ऑक्सीजन कैसे मिलेगी वो बीमार तो होगा और हमारे कुछ मवेशी है आने वाले जा आप बता रहे हो, फिर उसमें हमारे जो मवेशी चरने जाते है आस पास चारागाह की जमीन हैं हम एम.ई. साहब के पास गए तो उन्होने बोला यह तो धरतीधन है जब तक मिलेगा तब तक माईन्स वाला बैचारा खोदेगा इसको तो हमारे मवेशी चरने जाते है वो अन्दर गिर गए बैचारा वो केसे लाता है एक भैंस 50 से 60 से 70 हजार रूपये की आती है फिर वो उसको जब वो जाता है वहां पे कि मेरी भैंस मर गई हे तो उसको धमका के भेज दिया जाता है फिर थोड़ देर बाद 2 पुलिस के जवान और एक ए.एस.आई. यहां पर आ जाते है उसको डरा के धमका के 60 से 70 हजार की भैंस के उसको बोलते है 20 हजार रूपये एक माईन्स वाले ने कोई नोर्मस फोलो नहीं कर रखा है यह भी वर्तमान माईन्स बन जाएगी और हमारी इस पंचायत को पूरी तरीके से चारागाह की भूमि को इन लोगों ने आस–पास उसमें चारागाह की भूमि भी आती उस चारागाह की भूमि भी बंजर बन जाएगी और हमारे पर्यावरण को बिल्कुल देख लो कि आप उसकी तो ऐसी तेसी हो रही है तो हम यह चाहते है कि यह जो नई माईन्स वो आपको बिल्कुल देना ही नहीं है और वर्तमान जो माईन्से चल रही है अपने भी छोटे छोटे बच्चे है ऊपर अधिकारियों की मिलीभगत से उनको किसी तरह लपेट में आपके अधिकारी उनको करेंगे तो फिर प्रभु को तो जवाब देना ही है हम तो मर जाऐंगे धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह सिसोदिया ग्रामवासी :–

आदराणीय एस.डी.एम. साहब प्रदुषण मण्डल से पधारे हुए गण, वर्तमान और पूर्व सरपंच साहब मैं तो केवल वर्तमान में जो एन.ओ.सी. जो लिज चल रही है उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि अभी भी

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

जो मैंने आदेश देखा है उसमें 94.62 हैक्अर में लिज करवाने का है और आदेश आगे शासन सचिव जयपुर से आए है वहां से माईनिंग डिपार्टमेंट को भी आया एस.डी.एम. साहब को भी आया एस.डी.एम. साहब ने तहसीलदार को आदेश दिया 7 दिन में जवाब दे और तहसीलदार साहब ने पटवारी साहब को दिया कि 7 दिन में जवाब दे मैं पूछता हूँ कि पटवारी साहब के पास में क्या कोई ऐसी मशीने है जहां भी है जो लिज दी है उसमें वास्तव में वहीं लिज है 94 में कह रहा हूँ मेरी जमीन 35 विघा है जिसकी लिज है उसमें 200 खाखरे के पेड़ है और अगर वो खोदे और 500 फीट तक अगर लाईम स्टोन निकल जाए तो पूरी जमीन दे दूंगा क्यों गरीबो की मतलब हाय ले रहे हे जहां पर लाईमस्टोन है ही नहीं और वो भी लिज कर रहे है वहां पूरी लिज पडी हुई है 23167 नम्बर की लिज हुई है और जसपुरा 'गॉव के अन्दर मतलब सिर्फ जगमोहन सिंह यह सरपंच जी बैठें है पूछो इनसे कितने आम के पेड़ लगाए है वहां पर आम के पेड़ कितने है वो साहब आम के पेड़ लगे हुए है और उन पेड़ को पर्यावरण वाले वाड़ देंगे और लिज में दे देंगे मानलो पर्यावरण की एन.ओ.सी. दे देंगे फिर वो आम के पेड़ सब काट देंगे गॉवरमेन्ट ने कराया है उन आम के पेड़ो का क्या हो रहा है कहा गया आपका पर्यावरण तो मेरा तो निवेदन यह है कि यह जो अब लिज हो रही हे नहीं होने दे आप डाईरेक्ट नकशा बता कर आप सरपंच से पूछते पहले ग्राम पंचायत है सरपंच है सी.आर. है फिर आप पटवारी है तहसीलदार साहब है एस.डी.एम. साहब विराजमान है फिर माईनिंग के पास जाते कम से चलते ना तो कम से कम पता तो चलता कि किस भूमि के अन्दर लाईमस्टोन है जिस दिन आऐंगे बैचारे खेती कर रहे है वो जसपुरा के वो भी लिज है जमीनों के खेत है वो भी लिज में, मैं कह रहा हूँ आप लिज में है फिर अगर आप आदेश देते है तो अभी आप लिज कहीके चालु करिए अरे कुछ नहीं है वहां पर मैंने बहुत दौड़ाया 500 फीट तक वहां कोई माईन ही नहीं निकली और फिर वहां खेतों के वहां लाईमस्टोन निकल जाएगा गरीब लोगो की धज्जियां हो रही है कम से कम आपसे निवेदन यही कर सकते हे कि कम से कम अब तो लिज का है वो पर्यावरण वाला एन.ओ.सी. नहीं दे नहीं तो फिर से डाईरेक्ट जाऊंगा दिल्ली के अन्दर मोदी जी के पास आप किसानो के हितेषी है और किसानो का यह माईनिंग वाले क्या कर रहे है, एक तो खेती करने के लिए आप इतना हमसे कह रहे है इनको आदेश दिया हुआ है और 3 करोड़ लिज के लिए 20 प्रतिशत हमने जमा करवा दिए टेक्स के और बोली हाईयेस्ट लगी है तो किसान हमारा व्यवसाय बढ़ाना चाहते है। मेरी जमीन रोड़ के ऊपा है मैन रोड़ कुराबड़ के ऊपर वो लिज में है 39 साल तक हमने मजदुरी की है हमें लगा कुछ डेवलपमेन्ट करेंगे किसी को आप एन.ओ.सी. नहीं दे सकते कनवर्ट नहीं कर सकते अब एस.डी.एम. साहब क्या करे अब एसडीएम साहब बोले कमिशनर से आदेश है जयपुर से उसके आदेशा की पालना करे तो आप कम से कम इतने आगे बहुत कुछ कर सकते है कि कम से कम आके यह तो बताए कि मतलब यह लोग जो लिज दे रहे हे तो वो कहां कहां है खाना पूर्ति करने इतने हेक्टेयर में लिज हो गई लोन लिया लाएगा हो जाएगा। हम क्या करेंगे गरीब लोगों के लिए कहां पर्यावरण करेगा, पेड़ लगाएगा, पंचायत से चरनोट भूमि है वो कनवर्ट वो भी चेंज कर दिया जसपुरा की चरनोट भूमि हरियाव में चली गई तो जसपुरा वाले कहां जाऐंगे यह तो कोई तरीका नहीं हुआ हम वापस

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

मिलेंगे आपसे आप तो आपस में खानापूर्ति करनी है मैं तो मैं कह रहा हूँ 200 पेड़ काटेंगे यही अरे क्यों लोगों को परेशाान कर रहे है मैं कह रहा हूँ कि सर यह लिज मंदेरिया में लगाई है सिमेंट फैक्ट्री वालो ने अगर 1000 साल तक माईन्से चले तो माल समाप्त ही नहीं होगा तो क्या करेंगे पर्यावरण वाले पेड़ पौधो काटेंगे।

श्री मनीष कुमार वर्मा पर्यावरणीय सलाहकार :–

सर यह प्रस्तावित खनन अगर किसी को मैसर्स धरतीधन एकसपोर्ट 141/2010 के बारे में कुछ है तो बताए और यह सर आवासीय क्षैत्र से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और उसमें ब्लास्टिंग भी डीजीएमएस परिसर रूल्स एण्ड रेगुलेशन के बाद ही करेंगे और ब्लास्टिंग से किसी को किसी को कोई नुक्सान नहीं पहुंचेगा।

श्री गोपाल तेली – ग्रामवासी :–

मैं 4–5 बार ग्रामसभा में इस सिमेंट फेक्ट्री और माईन्स वालो से करीब 4 साल पहले हमने मांग रखी थी कि हमारी पंचायत के सभी ट्री गार्ड लगाए और पेड़ लगाए 4 साल पहले अभी तक एक भी ट्री गार्ड और एक भी पेड़ नहीं है 4 साल से और जो फेक्ट्री हमारे जसपुरा में चल रही है उससे करीब करीब पूरी चरनोट भूमि भी पूरी बंजर हो रही है क्योंकि वो जब धूल मिट्टी उड़ती है वो चरनोट भूमि में जब वो चरनोट भूमि पूरी बेकार हो गई वाईअ–वाईट और भेड़ बकरी कुछ खा ही नहीं पाते मैन पर्यावरण वाले ही हो तो पर्यावरण के लिए ही बोल रहा हूँ पर्यावरण का कोइ लेना देना नहीं क्योंकि हमारे जसपुरा में भी क्रशर है पाउडर फेक्ट्री है उन्होने एक भी कहीं पर अभी अभी हम जाते है सब देख लेते हे तो कुछ नहीं है धूल मिट्टी उड रही है कोई पानी वगेहरा कुछ नहीं है जो अड़ौस–पड़ौस के किसान है उनके वो जो चारा हे खेती हे अभी वो खेती भी है सब कुछ है जाते है तभी देख पाते है पर्यावरण का कोई कुछ नहीं है और हम भी वहां जाते है ज्यादा तो हम भी कुछ कर नहीं पाते फिर हमने मांग की धन्यवाद।

श्री गोपालसिंह राणावत – ग्रामवासी :–

जो आप एन.ओ.सी. की प्रक्रिया आप चला रहे है पर्यावरण से सम्बन्धित आप बात करना चाह रहे है कुछ माईन्से वगेहरा चली कुछ समस्या तो हमारे है ही है लेकिन पर्यावरण की जो बात कर रहे हे मैं यह चाहता हूँ पर्यावरण की हमारे एरिया में एन.ओ.सी. देने की जरूरत नहीं है यदि आप एन.ओ.सी. देना चाहते हो तो हमारी जो पर्यावरण की अभी जो स्थिति है वो स्थिति आज के 10 साल के बाद में हर एक इसकी आप हमारे को गारंटी देते हो तो आप पर्यावरण की एन.ओ.सी. इनको दे सकते हो जो हमारा अभी का जो वातावरण है वो वातावरण 10 साल के बाद मेन्टेन कर सकते हो आप, आप ओनली बाद में लेखपूर्ति करके एन.ओ.सी. दे के किसी माईन्स को चलानाा चाहते हो यह बहुत गलत बात है यदि आज मेरा किसान यहां

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

पे आम का वृक्ष लगाता है और उससे 10 क्विंटल यदि आम निकलता हे तो आज के 10 साल के बाद में भी 10 क्विंटल उसके आम निकलने चाहिए। यदि 8 क्विंटल निकलते है तो 2 क्विंटल उस किसान को आपका विभाग खर्चा दे आप साथमें रहने के लिए मैं नहीं बोला आप राजस्व अधिक करना चाहते हो सरकार के लिए इसका मलतब यह नहीं है कि हमारे किसानो का फॉल्ट हुआ आज हमारे जो पानी की स्थिति है वो पानी की स्थिति कम से कम आज है अभी मेरे गॉव में आज 5000 लीटर पानी है तो 10 साल के बाद भी 5000 लीटर पानी रहना चाहिए न कि आपके उन माईन्सो में जाना चाहिए इसलिए अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार हम सहमत नहीं है इन विभागो को एन.ओ.सी. दी जाए यदि आप देते हो तो इस बात की हमारे गारंटी देते हो कि हम आपका वातावरण को बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे हमारे को नहीं चाहिए आपके पेड़ लगाने हम भीक्षा मांगने के लिए आपके पास नहीं खड़े हुए सर हमारे यहां रोड़ बना दो हमारे यह कर दो हमारे को नहीं चाहिए हम भी काम करते हे हम भी कमा सकते हे हम फसल उगाऐंगे उससे ज्यादा गेहूँ पैदा करेंगे आप क्या हमारे वातावरण को खराब करना चाहते हो आज आपने क्या स्थिति बना दी हमारी पहले आपने जितनी भी इन लोगो को जो एन.ओ.सी. लेने की बात कर रहे हो और क्यों देना चाह रहे हो किसी को कोई सूचना नहीं आ लाते हो खेलपूर्ति करके रिपोर्ट बना के भेज देते हो आज हम सब कह रहे है एन.ओ.सी. लिख दे कि आप सहमत है हम सब फैसला लेंगे उसको आगे भेजोगे आप आप सहमत हे क्या हम जो फैसला लेंगे उसको आगे भेजोगे क्या आप।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपने जो भी आपके यहां पे कहा ना आप सूचना का अधिकार तो जानते हो ठीक है ना अब एक काम करना सूचना के अधिकार पे ये आप जो बोल रहे हो तो ऐक्सेक्ट वर्ड जाऐंगे यह गारंटी है हमारी ठीक है आपको जो भी चाहिए न होगा सूचना के अधिकार के अन्दर आपमें से कोई भी ले सकता हे अगर सूचना के अधिकार के अन्दर नहीं खर्च करना चाहते तो आप वैसे भी ले लो और कुछ आप जो भी चीज बोल रहे हो ना तो सारी की सारी एस वर्ड्स जा आपके बोल रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो वैसे के वैसे जाऐंगे।

श्री गोपाल सिंह राणावत ग्रामवासी :–

उसको आप साईन कर दोगे इससे किसी प्रकार की हमे संदेह नहीं अगली बार भी एन.ओ.सी. के लिए हुए थे हमने विरोध किया था एन.ओ.सी. इनको नहीं देनी नहीं देनी क्यों भई सही बात है लेकिन एनओसी दी गई हमारे को बेवकूफ बनाया गया और भी हमारे से आप आपकी प्रक्रिया करना चाहते हो हमारे साथ धाखा हुआ आप जो प्रासिडिंग आप ले रहे हो उसकी एक कॉपी हमें देने में क्या दिक्कत है।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

कोई दिक्कत नहीं आपको मिल जाएगी, आपको जो भी चाहिए ना आपको विडियो रिकार्डिंग चाहिए आपको विडियो रिकार्डिंग मिल जाएगी आपको लिखित में चाहिए आपको लिखित में मिल जाएगी।

श्री गोपाल सिंह राणावत ग्रामवासी :–

हम एन.ओ.सी. के लिए सहमत नहीं है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप जो कह रहे है ना आप सहमत नहीं है हम यही लिखेंगे आपके गाँव वाले सहमत नहीं है।

श्री गोपाल सिंह राणावत ग्रामवासी :–

और सहमत इसलिए नहीं है आपने पूर्व में एन.ओ.सी. जिन लोगों को दी है उनकी आप जाँच करवा दीजिए क्या वो नियम और कायदे फॉलो कर रहे है क्या हम कैसे विश्वास करेंगे आप जिस फर्म को एन. ओ.सी. दे रहे हो वो नियम और कायदा को फॉलो करेगा हम तो देख रहे हे अभी जो जिधर आपकी माईन्से वगहरा चल रही है वो हम देख रहे हे हमारी क्या स्थिति कर रहे है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

अब मैं आपको एक एक्साम्पल दे रहा हूँ एक मिनीट आप मेरी बात सुन लेना एक आपके एक सेम केस उदयपुर में चल रहा है उसमें क्या हुआ के दो साल से उसको एन.ओ.सी. नहीं मिली है और जितने भी उसने नाम लिए थे ना जेसे पब्लिक हियरिंग के अन्दर उन सब की जॉच चल रही है ठीक है ऐसा नहीं है देखो हो सकता है पहले क्या चीज होनी है मैं वो नहीं कह सकता लेकिन आज की तारीख के अन्दर जो भी चीज आप बोल रहे है वो वैसी ही जाएगी और वो जॉच होगी।

श्री गोपाल सिंह राणावत ग्रामवासी :–

आप पर्यावरण विभाग से है आप चाहते है प्रदूषण नहीं हो अभी हमारे अभी हमारे एरिए की प्रदुषण के मामले में क्या स्थिति है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपका प्रेसेन्टेशन कभी आपने भेजा क्या हमको एक मिनिट अगर भेजा जो मौका दिखाऐंगे आप देखो क्या होता है कि एरीया तो बहुत बड़ा होता है आपकी सबकी समस्या है समस्या बताईए तो सही अभी एन.ओ.सी. हम इसको नहीं दे रहे है एनओसी नहीं दे रहे हे आपको किसने कहा एनओसी दे रहे है हम

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

नहीं दे रहे है, हम नहीं दे रहे है हम यहां से यह भेज रहे है कि यहां के लोग जो है जो इस बात से सहमत नहीं है कि इसको एनओसी दी जाए यही कहना चाह रहे है यह तो मैं भेज रहा हूँ।

श्री गोपाल सिंह राणावत ग्रामवासी :–

और अगर एनओसी देना भी चाहते हो तो पहले जिन लोगो को आपने दी है जो माईन्स चल रही है उनकी आप जाँच करवाईए वो नियम वो फॉलो कर रहे है क्या यदि वो फॉलो नहीं कर रहे है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

जो हम जन सुनवाई करते है ना जनसुनवाई करते क्यु है अगर आपकी बात नहीं सुननी थी तो हम आते कायके लिए आप जो कह रहे है एसइटइस जाएगा वो वहा जाएगा उसपे जॉच होगी यह सब चीजे होंगी क्योंकि आपने इतना स्ट्रोंग्ली बोला इस चीज पे यहों बताओ एक ने भी यहां माईन्स के बारे में बोला है क्या एक भी आदमी ने नहीं बोला है एक मिनीट अपन ईधर उधर की बात नहीं कर रहे है इधर उधर की बात नहीं कर रहे है अपन वो बात कर रहे हे जो आप बोल रहे है।

श्री गोपाल सिंह राणावत ग्रामवासी :–

मैं मैन पर्यावरणा पे ही जा रहा हूँ आप पर्यावरण की एनओसी देना चाहते हो।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

नहीं देना चाह रहे है।

श्री गोपाल सिंह राणावत ग्रामवासी :–

हम देने के सहमत नहीं है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

बस ठीक है, बस ठीक है और कोई कुछ बोलना चाहे तो आ सकते है और कोई कुछ कहना चाहे तो आ सकते है।

श्री मनीष कुमार वर्मा पर्यावरणीय सलाहकार :–

सर यह प्रस्तावित खनन क्षैत्र है और सर यह आवासीय क्षैत्र से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है इसलिए इसका अनुभव पुर्व ब्लास्टिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर हम लोग डीजीएमएस के रूल्स रेग्यूलेशन उसी के नियम से ब्टलास्टींग करेंगे और सर वॉटर टेबल जल स्तर भी इससे बढ़ेगा।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपकी कोई और माईन्स भी चल रही है क्या यहां पे?

श्री मनीष कुमार वर्मा पर्यावरणीय सलाहकार :–

नहीं, जल स्तर भी इससे बढ़ेगा जल छालित करेंगे जिसमें इसकी पूंजीगत लागत 5 लाख रूपये है और आवंटित लागत 1.5 लाख रूपये प्रतिवर्ष है और माईन्स के चारों तरफ तारबंदी भी करवायेंगे जिससे कि कोई मवेशी या बच्चा ना गिरे और सर डिमार्केशन भी करायेंगे पीलर को मार्किंग भी करायेंगे कौनसा पीलर कहां है जिससे लिज के बाहर माईनिंग नहीं हो सके और सर रिटेनिंग वॉल और गारलेण्ड ट्रेन भी बनायेंगे जिससे कि जो कूड़े के ढेर है उसका पर्यावरण पर कोई नेगेटिव इम्पेक्ट ना पड़े।

श्री महेन्द्र सिंह चौहान ग्रामवासी :–

सर हम यह चाह रहे है, भई इनके जो नोर्म्स है वो पढ़ रहे है उससे कोई नी पर एक भी माईन्स पहले जो भी एनओसी दे रखी है किसी माईन्स में एक भी माईन्स अगर एस विडियो बना लो उसकी तारबंदी कर रखी हो या कोई ऐसा सिर्फ माईन्स है कुछ भी नहीं है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इनको जो बोलना है इनको बोलने दो कोई मतलब ही नहीं है उसका।

श्री महेन्द्र सिंह चौहान ग्रामवासी :–

यह यू कह रहे यह यह नोर्म्स है भई तारबंदी करनी फलाना करनी यह बता रहे भई यह यह पॉईन्ट है इसमें यह माईन्स वालो को यह यह करने की जरूरत है लेकिन मैं इनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि एक भी माईन्स में तारबंदी नहीं है ना कैसी सेफ्टी है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

बस बस वो तो आपकी बात हमने सुन जी वो तो हमें कोई दिक्कत नहीं वरना आप यह जो कह रहे है ना उससे आपको कोई आपने जो बोला वो कोई बात कम नहीं हो रही है आपने जो, बोला अपनी जगह बात है यह जो बोल रहे है यह बोल रहे है इनको बोलने दो आपको कोई दिक्कत नहीं उससे यह अपनी बात कह रहे है। एक मिनीट आपको ईन्टरवेन नहीं करेंगे यह बोला मैंने, एक मिनीट यहां आप जो भी बोल रहे है आपने अपनी बात कह दी हे, हमने कब कहा आप गलत कह रहे हो हमने आपको कभी नहीं कहा आप गलत कह रहे हो।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री गोपाल सिंह राणावत ग्रामवासीः–

गॉवरमेंट बॉडी गलत बोलेगी तो फिर हम कहेंगे क्या?

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

यह गॉवरमेंट बॉडी नहीं है, यह गॉवरमेंट बॉडी नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह ग्रामवासी :–

आप पर्यावरण विभाग से हे मैं यूँ पुछना चाहता हूँ कि पहले से इतनी माइन्से चल रही हे जो भी माईन्स की एनओसी होता है जो भी होता है क्या पर्यावरण विभाग वापस उस क्षैत्र में आके चेक करता है क्या पर्यावरण की उनकी भी कोई जिम्मेदारी होती है ना आपने कभी वापस उन माईन्सो में पर एक भी बार कभी उन एरीया में आकर देखा है कि यहां इस क्षैत्र का क्या पर्यावरण है अभी और पहले क्लाईमेट क्या था अभी क्लाईमेट क्या है वो कुछ आपकी भी तो जिम्मेदारी होती है ना।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपका प्रेसेन्टेशन दीजिए, आपका आप जो भी कहना चाहे आप लिखित में दीजिए आपके यहां पर आयेंगे आपसे भी कॉन्टेक्ट करेंगे।

श्री रघुवीर सिंह ग्रामवासी :–

यही तो हम कहना चाह रहे है अभी तो हमारे गॉव में आकर बैठे हो आप हमारे यहां आके लिखित में दीजिए फिर हम आपके ऑफिस में चक्कर काटेंगे उस समय आप कहोगे लिखित में दीजिए बाहर आधा घंटा बैठीए फिर आप अन्दर आईए फिर अगर आप हमारे गौव में बैठे हो उस समय भी यह प्रोबलम आ रही हे कि आप लिखित में दीजिए जन सुनवाई में फिर वहां आके चक्कर काटेंगे फिर वह प्रोबलम आएगी हमारे क्षैत्र की वहां कौन सुनेगा।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

हम क्या है लिखित में देनले में कोई दिक्कत नहीं हे ठीक है ना।

श्री मनीष कुमार वर्मा पर्यावरणीय सलाहकार :–

और हम लोग सर एक साल में 6–6 महीने में 2 बार वायु, जल और ध्वनी की मोनिट्रिंग करवायेंगे ओर इसमें सर जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां का जलस्तर 60 से 70 मीटर है जबकि यह खनन 30 मीटर में ही करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप में से और कोई कहना चाहे तो आ सकता है। मैं माननीय एसडीएम से निवेदन करता हूँ कि दो शबद कहे।

श्री रमेश बहेडिया जी, एसडीएम साहबः –

अरे भईया यह जो एमएल आ रही है यह क्या प्राईवेट लेंड है या गॉवरमेंट लेंड़ है, पूरी की पूरी 43 हैक्टर गॉवरमेंट लेंड है?

श्री मनीष कुमार वर्मा पर्यावरणीय सलाहकार :–

नहीं सर हम लोगों ने केवल 4 हैक्टेयर के लिए किया हैं।

श्री रमेश बहेडिया जी, एसडीएम साहबः –

अभी केवल 4 हैक्टयर के लिए जो गॉवरमेंट लेंड है तो ऑनलाईन आपने एप्लाई करके आपके पास सेंक्शन है।

श्री गोपाल सिंह राणावत ग्रामवासीः–

सर हमारे पंचायत में कितनी जमीन बिलानाम है हमारे को बिलानाम की कितनी जरूरत है हम हमारे फिल्ड के लिए रोते घूम रहे है इन लोगों को दे रहे है और हमारे बच्चो को जमीन नहीं हमारी जमीन ही खत्म कर दोगे आप लोग यह पंचायत में इतनी जमीन नहीं है हमें स्कूल का ग्राउण्ड बनाना इन लोगों को जमीन दे दी कहां से दोगे आप पहले ही जमीन खत्म कर दोगे आप इन लोगो को दे देंगे किसे दे दोगे खत्म कर दोगे तो हमारा क्या होगा बच्चे कहां जायेंगे हमारे पहले हमारे जितने हमारे स्कूल है शुरू से पहले हमारे को दो हमारे हॉस्पीटल के लिए जरूरत है हम कहां से लायेंगे जमीन।

श्री अमर सिंह ग्रामवासी : –

हमारे पास के गॉव है जसपुरा गॉव है उसकी 200 बीघा जमीन चारागाह भूमि थी उसको बिलानाम कनवर्ट करके वहां से 50 किलोमीटर दूर चारागाह भूमि दे दी ओर यह अरबपति को अरबपति बनाने के लिए जे.के. सिमेन्ट को लिज दे दी 200 बिघा जमीन यहां पास के गॉव में जसपुरा में चारागाह भूमि को बिलानाम करके उसको बिलानाम करके उसको वहां शिफ्ट कर दिया 50 किलामीटर दूर।

श्री गोपाल सिंह ग्रामवासी :–

वो क्या राजकीय काम करेंगे मेरे गॉव में नहीं है जमीन बिलानाम वहां पे बिलानाम नहीं मेरे गॉव में चारागाह हे मेरे स्कूल को दे दी उसको हम चारागाह बनायेंगे इसको बिलानाम बनायेंगे यहां गुपड़ी में नहीं है ग्राउण्ड के लिए तो हम चेंज करेंगे पहले ही आप जमीन इन लोगों को दे दे के खत्म कर दोगे तो

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

हमारा क्या होगा हमारे बच्चे कहा जायेंगे ये कहां बनाओगे स्कूल की बिल्डिंग वगहरा कहां बनाओगे हॉस्पीटल कहा बनाओगे कल आपकी आज आप बाहरवी तक की स्कूल की बात कर रहे हो आप अगले वाले समय में एक कॉलेज की बात करोगे फिर कहा बनाओगे सिर के ऊपर बनाओगे क्या इसलिए हमारे पास जमीन ही नहीं जबकि पंचायत में ज्यादा है वहां दी जाए हमारे जिस बेसिकली जितनी जरूरत है उतनी जमीन देना पंचायत फिर गलत कैसे है बताओ गलत है क्या हमारा।

श्री रमेश बहेडिया जी, एसडीएम साहबः–

अरे आपका ऑब्जेवशन नोटडाऊन करा लो हम तो कह रहे है आपके जितने भी ऑब्जेक्शन है उनको आप नोटडाऊन करा जलो आप जो बना रहे हो वही तो हम सुनने आए है आपके ऑब्जेकशन्स ही नोटडाउन करने आए है।

श्री लक्ष्मण सिंह देवड़ा ग्रामवासी :–

सर हमारे पूर्ण रूप से सर हमारे एक ही है पूरी ग्राम पंचायत का एक ही मुद्दा है कि हमें यह एनओसी नहीं देनी है। यह सर आप देख रहे है अभी आप बिराज रहे है ऊपर यह देखिए यह ग्राम पंचायत के जो पंखे जलगे थे ना वो भी वो खोल के चले गए और यह खाली ये चद्दर लगा के चले गए पुछ लो यह सरपंच साहब गोपाल जी सही बात कह रहा हूँ।

श्री गोपाल सिंह ग्रामवासी :–

सर हमारी परटीकुलर जानकारी से हरियाव में कितनी बिलानाम जमीने है।

श्री रमेश बहेडिया जी, एसडीएम साहबः –

आपके पास डेटा उपलब्ध है कि कितनी बिलानाम जमीन है हरियाव में बिलानाम आपके पास नहीं है यू।

श्री गोपाल सिंह ग्रामवासी :–

हॉ सर पंचायत की ना परटीकुलर हरियाव की बात कर रहे हे हरियाव में कितने बिघा जमीन बिलानाम की है जिसमें आप कितने देना चाह रहे हो कितनी हमारी बचेगी पहले तो यह बताईए पहले हमारे को हमारे पास देने के लिए ही नहीं तो देंगे क्या कितनी जमीन है सर बताईए।

श्री रमेश बहेडिया जी, एसडीएम साहबः –

यहां पटवार कौन है मेरी बात सुनो मैंने कल शाम को 6 बजे यहां का चार्ज लिया है मैं यहां का एसडीएम नहीं हूँ मैं भींडर एसडीएम हूँ आप सुने बात तो सुने आप मैंने कल शाम को ही चार्ज लिया है और अभी सुबह 10.30 बजे मुझे अवगत कराया गया कि यहां आना है ठीक है अब आप ऐसे सवाल दाग

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

रहे हो कि मुझे नहीं पता कि गुपड़ी कहां है मैंने लाईफ में पहली बार गुपड़ी देखी ठीक है, अरे आप मुद्दे पर आ रहे है तो आप मेरी बात सुने इस मन को समझो आप आप जहां चोट करना चाही रहे हो वहां चोट हो आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया कि साहब बिलानाम जमीन दे रहे हो तो हमारे गॉव का डेवलपमेन्ट के लिए भविष्य में जमीन चाहिए तो क्या होगा उसका स्पष्टीकरण यह देंगे अधिकारी देंगे यह आपने अच्छा क्योश्चन उठाया तो इस क्योश्चन को आप ज्यादा खींचो मत क्योंकि आपने अच्छा क्योश्चन उठाया तो इस क्योश्चन का जवाब देना पड़ेगा रिटर्न में चीजे जाएगी उसका जवाब आयेगा चार बार आप जो क्योश्चन उठा रहे हो वो रेलिवेन्ट उड़ाओ आप यहां के पंखे घायब कर दिए उससे इनका कोई लेना देना नहीं हे तो आप इस माईनिंग लिज से रिलेटेड जो आप चारागाह लेंड है यहां के ऐन्चायरमेन्ट का क्या हुआ यहां कि बिलानाम जमीन कम होने के बाद हमारे डेवलपमेंट फियूचर का क्या होगा यह आपके रिलेटेड जवाब है यही ऑब्जेक्शन आपके काम आने वाले है यह पंखे घायब हो गए यह काम आने वाले नहीं है तो प्रेक्टीकल बात करो आप आपके ऑब्जेक्शन बाद आप इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करो भई सरपंच साहब के वोट के समय आप एमएलए, एमपी साहब को पकड़ लोगे फायदा क्या हो गया बताओ मेरे को जब सरपंच साहब वोट लेने आ रहे हो और आप कह रहे हो एमएलए साहब तो आही नहीं रहे एमपी साहब नहीं है आप वोट लेने कैसे आ गए यह वो वाली बात हो गई तो आप इसको समझो आपकी जो मुलभूत ऐन्चायरमेंटल इश्यु है आप उसको पुटअप मर्ज करो यह बिडियोग्राफ इसलिए चल रही हे कि इसका जवाब देना पड़ेबगा 40 बार यस ईम्पोरटेंट यह है इसी को समझे आप।

श्री गोपाल सिंह ग्रामवासी :–

हम तो यह कह रहे है पर्यावरण से संबंधित जो भी आंकड़े आज की तारीख में है जो आंकड़े आज की तारीख में है प्रदुषण के मामले जो भी आपके पास तो आंकड़े है ही वहीं आप कह रहे हो हमारे पास तो है ही नहीं आपके जो भी आंकड़े है वो आंकड़े बरकरार रहने चाहिए।

श्री रमेश बहेडिया जी, एसडीएम साहब :–

बहुत अच्छा क्योश्चन आपका की भई आज जो पर्यावरण की परिस्थिति तंत्र का वास्तविक मुल स्वरूप हे यह माईनिंग लिज सेंकशन होने के बाद भी बना रहना चाहिए यह क्योश्चन है ना यह क्योश्चन नोटडाउन हो गया ठीक है तो यह जवाब वापस आएगा कि साहब उन्होने राणावत जी ने जवाब मांगा उसका क्या जवाब दोगे आप, मेरा बचपन यहीं का निकला हुआ है मैं भी यहीं का ही हूँ मेवाड़ का ही हूँ कोई बाहर से नहीं आया हूँ ठीक है इसीलिए आपको इतना समझा रहा हूँ देखो ऐसा हे यह ऐन्चायरमेंटल ईश्यु इन चीज को रखो मचबेटर यह हे कि इसका जवाब मिलेगा इम्पोरटेंट यह चीज हैं

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और कोई कुछ कहना चाहे तो आ सकते है। ठीक है आप सब का धन्यवाद जयहिंद।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री रमेश बहेडिया जी, एसडीएम साहबः –

एप्लीकेशन निरसत हो गई है तो छः माह से ऑनलाईन पहले कर दिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में किया है उसकी डेथ के छः महीने के अंदर–अंदर एप्लाई कर दिया हे ना तो किसने कहा हे कि बाद में किया कि आप कह रहे हो कि बाद में किया क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है कोई ऑब्जेक्शन डाला आप मुझे बता दे उसको रिमुव करवा देंगे अपन बाकी पैसा ऑनलाईन आएगा किसी के सरटिफिकेट की जरूरत नहीं है यह 4–5 दस्तावेज मैंने आपको बताए हे वो लगा देना साथ में अटेच कर देना हू ईमित्र वाला सब जानता हे हो जायगा। अभी आर.ओ. साहब ने क्या कहा आपने जो वर्ड टू वर्ड कहे है ना आप सुने हमारी तरफ से यहां आज जो कुछ भी हुआ है ना उसकी ऐक्जेक्ट पोजिशन स्थिति जाएगी इन्होने ऑब्जेकशन किया और यह स्थिति है हमारी तरफ से रिमार्क ऊपर वालेक नहीं मांगते यहां आम पब्लिक का क्या रूख है और आम पब्लिक ने क्या कहा है वो सब जाऐंगे और हमारी अनुशंषा नहीं मांगते कि आपको क्या कहना है क्योंकि उनको लोकल लोगों से लेना देना है और एक यह जो आपने पलान बनाया है ना इस प्रेसेन्टेशन की फॉटोकॉपी कराके सरपंच साहब को दे दो और एक ग्राम पंचायत के बाहर चिपका दो, ग्राम पंचायत के बाहर चिपकवा दो और एक कॉपी सरपंच साहब को दे दो ऑफिश्यली।

उक्त जनसनुवाई में माईन्स संचालन के प्रति भारी विरोध दृष्टिगत हुआ।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), गिर्वा, उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(रमेश बहेड़िया)
उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर
जिला–उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

मैसर्स धरतीधन एक्सपोर्ट, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार (एम.एल.न. 141/2010, क्षेत्रफल– 4.00 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 8,15,040 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित फेल्सपार उत्पादन क्षमता 178572 TPA निकट ग्राम– हरियाव, तहसील–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 23.09.2024 को प्रातः 11.00 AM बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र गुपड़ी, ग्राम–हरियाव, तहसील–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] चन्द्र बैरेडिया	SDM वल्लभनगर	[signature]
2	शरद सक्सेना	RO RSPCB Udaipur	[signature]
3	C.P. Jeengar	RPCB, Udaipur	[signature]
4			
5			
6	अमरसिंह सिसोदिया	हरियाव	[signature]
7	महेन्द्र सिंह चौहान	चौहानों का गुडा प. गुपडी	[signature]
8	रघुवीर सिंह चौहान	चौहानों का गुडा गुपडी	[signature]
9	लक्ष्मणसिंह देवड़ा उपसरपंच गुपडी	गुपडी	[signature]
10	सुरेन्द्र सिंह	गुपडी	[signature]
11	बद्रीलाल	गुपडी	बद्री
12	केशर सिंह	गुपडी	[signature]
13	महेन्द्रसिंह	मन्देरिया	[signature]
14	गोपालसिंह	गुपडी	[signature]
15	गोविन्दसिंह	जसपुरा	[signature]
16	रायसिंह	मन्दरीया	[signature]
17			
18	जंवानसिंह सिसोदिया	हरियाव	[signature]
19	भावना गायरी	जसपुरा	[signature]
20	अनुराधा चौहान	गुपडी	Anuradha
21	रायसिंह	गुपडी	[signature]

व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
सज्जन सिंह	मन्दोरिया (वा गुडी)	सज्जन
मनोहर सिंह २१२७	मन्दोरिया (वा गुडी)	[illegible]
रामचन्द्र खटिक	गुपडी	[illegible]
शिवसिंह सिसोदिया	हरियाव	[illegible]
मांगीलाल	गुपडी	मांगीलाल
नरेश कुमार	गुपडी	नरेश
शान्ति देवी मेघवाल	गुपड़ी	शान्ता
अर्जुन सिंह	गुपडी	
नरेन्द्र कुमार सेन	गुपड़ी	नरेन्द्र
ओनाड सिंह देवड़ा	गुपडी	ओनाड
खुमाण सिंह देवड़ा	गुपडी	[illegible]
गोपाल तेली	जसपुरा गुपडी (सरपंच पुत्र)	गोपाल तेली
अभयसिंह	गुपडी	अभयसिंह
Sundram Katiyar	पर्यावरणीय सलाहकार जयपुर	[illegible]
Gaurishankar Nai	PESPLTD	[illegible]

श्री माणकलाल आदि वादी
बनाम
अमरा आदि प्रतिवादी
वाद संख्या 28/2023

प्रेषित :
देवा पिता चमना भील निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर

चूंकि वादीगण ने आपके विरुद्ध बंटवारा व निषेधाज्ञा के लिए एक वाद संस्थिति किया है अतः आपको एतद् द्वारा आहुत किया जाता है कि आप या तो स्वयं ऐसे या अधिवक्ता जो कि सम्यकरुपेण अनुदिष्ट हो व वाद संबंधी सर्व सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो के द्वारा दिनांक 22.8.2024 के दिवस को प्रातः10 बजे दावे का उत्तर देने हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हो और आगे आपको एतद् द्वारा यह भी निर्देश दिया जाता है कि उस दिन आप अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश करें और उसी दिन वे सब प्रलेख जो आपके अधिपत्य या अधिकार में हो व जिन पर आप अपना प्रतिरक्षा या प्रतिपादन या प्रतिदावा आधारित करते हो, भी प्रस्तुत करें तथा जहां आप किसी अन्य प्रलेख जो आपके अधिपत्य या अधिकार में हो या न हो पर अपनी प्रतिरक्षा या प्रतिपादन या प्रतिदावा के समर्थ में साक्ष्य के रुप में भरोसा रखते हो, उन प्रलेखों को अपने लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

सूचित रहे कि पूर्णवर्णित दिवस को आपके द्वारा अपनी उपस्थिति में व्यतिक्रम होने पर कथित वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना व अवधारित किया जावेगा।

आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर

DNU 327346

से तीन युवक घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से सेमारी सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर तीनों को उदयपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार खांखरिया निवासी प्रवीण (18) पुत्र लालजी मीणा, निकेश उर्फ निक्कू (16) पुत्र भानजी मीणा एवं वली बोरी निवासी प्रवीण (16) पुत्र भीमजी मीणा दो बाइक पर एक अन्य के साथ सवार होकर लालपुरिया से सेमारी की ओर आ रहे थे, तभी सड़क पर पड़ी कंक्रीट से बाइक फिसल गई और तीनों घायल हो गए। बाइक सवार एक अन्य युवक को चोट नहीं लगी, जबकि ये तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उदयपुर के एमबी अस्पताल में इलाज जारी है।

देवपुरा फोटो - सलूंबर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे ग्राम

आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवाया

जयसमंद के बुटवास गांव का मामला

नवज्योति देवपुरा। जयसमंद ब्लॉक के पहाड़ी ग्राम पंचायत में स्थित राजस्व गांव बुटवास में अज्ञात लोगों द्वारा श्मशान घाट पर पक्का निर्माण कार्य करते हुए अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। जहां उक्त मामले को लेकर दो सौ से अधिक लोगों ने रोष जताते हुए मंगलवार को सलूंबर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले आक्रोशित ग्रामीणों ने उक्त जगह पर हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रुकव था, लेकिन कुछ समय बाद फिर कार्य शुरू कर दिया। इधर उक्त माम को लेकर सोमवार देर शाम करी साढ़े सात बजे करीब 400 ले जयसमंद चौकी पहुंचे और अतिक्रम के मामले को लेकर चौकी प्रभा देवेंद्र सिंह को रिपोर्ट सौंपकर कार्रव की मांग की।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करी 180 घरों यानी कि करीब डेढ़ हजा लोगों की आबादी है, जिसके लि मात्र एक ही श्मशान घाट है, लेकि इसके पास ही अज्ञात लोग पत्थरों से नींव भरकर चार दीवारी बनाक अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसे में यदि उक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाइ

रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में वीरांग

उदयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अभिनव पहल करते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की वीरांगनाओं का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रत्येक जिले में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीदों के घर जाकर वीरांगनाओं और परिजनों का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री महोदय का संदेश दिया तथा उपहार भेंट किए। उदयपुर में जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल के निर्देशन में शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर मुस्तफा, शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी तथा शहीद लेफ्टिनेंट अर्चित वर्डिया के परिजनों को सम्मानित किया गया। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़, गिर्वा तहसीलदार सुरेश नाहर आदि भुवाणा स्थित अभिनव नागौरी के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने राज्य सरकार की ओर से भेजी गई भेंट सामग्री शहीद के माता-पिता को भेंट की। इसमें 2100 रुपए नकद, शॉल, श्रीफल, मिठाई एवं मुख्यमंत्री जी का संदेश शामिल है। इससे पूर्व विधायक मीणा ने मुख्यमंत्री के संदेश

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

LiFE Lifestyle for Environment

एफ 470 यूसीसीआई भवन के पास मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय : मैसर्स धरतीधन एक्सपोर्ट, एम.एल. नं. 141/2010 (क्षेत्रफल 4.00 हैक्टेयर) क्वार्टज एवं फैल्डसपार'' ग्राम हरियाव, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स धरतीधन एक्सपोर्ट, एम.एल. नं. 141/2010 (क्षेत्रफल 4.00 हैक्टेयर) 'क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार', ग्राम हरियाव, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार माइन (एम.एल. नं. 141/2010, क्षेत्रफल 4.00 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 178572 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मंडल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:- 1. कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर, 2 सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, 3. क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवतरन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर, 4. क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच. अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.), 5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर, 6. उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर, जिला उदयपुर, 7. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमचरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर, 8. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470 मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र मादड़ी, उदयपुर (राज.)

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई दिनांक 23.09.2024 (सोमवार) को प्रातः 11.00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र गुपड़ी, ग्राम- हरियाव, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 327339

-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट श्रृंखला के दौरान आलराउंडर न और मिशेल मार्श गेंदबाजी का अधिक जिम्मा कमिंस चाहते हैं कि यह दोनों ऑलराउंडर नवंबर से ाली पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में टीम के अग्रणी जों का कार्यभार साझा करें। कमिंस ने यहां एक दौरान कहा ,''टीम में ऑलराउंडर होने से फायदा पिछले कुछ वर्षों में हम उनका उतना उपयोग नहीं कर हमने सोचा था। यह अच्छी बात है।''

कहा,''लेकिन इन गर्मियों के सत्र में कुछ अलग हो हम ग्रीन और मार्श को गेंदबाजी में थोड़ा अधिक सकते हैं।'' ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कहा,''ग्रीन ी ने शील्ड क्रिकेट मेंगेंदबाज के रूप में शुरुआत की टेस्ट मैचों में उसे ज्यादा गेंदबाजी नहीं करनी पड़ी। ले से अधिक परिपक्व हो गया है। मुझे लगता है कि थोड़ा और अधिक निर्भर रहेंगे।''

श के खिलाफ पाकिस्तान कराची की वलपिंडी में खेलेगा दूसरा टेस्ट : पीसीबी

र, 20 अगस्त (एजेन्सी)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) ने रविवार को नेशनल स्टेडियम में चल रहे ण कार्य के कारण बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट को रावलपिंडी में स्थानांतरित करने का फैसला किया। यह ग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) से बातचीत के बाद ा है। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला पीसीबी ने पहले कहा था कि दूसरे टेस्ट मैच (30 से तीन सितंबर) को कराची में खाली स्टेडियम में खेला पाकिस्तान अगले साल आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी की करेगा और इसी के मद्देनजर कराची स्थित नेशनल न का नवीनीकरण किया जा रहा है। पीसीबी की ओर से बयान के मुताबिक, '' हमारे निर्माण विशेषज्ञों ने हमें नन स्थल की तैयारी के लिए समय-सीमा के बारे में अवगत । उन्होंने सलाह दी कि मैच के दौरान निर्माण जारी रह ा है और इसके शोर से खिलाड़ियों को परेशानी हो सकती

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के सख्त मानकों पर खरी उतरेंगी। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप का पसंदीदा सप्लायर चुना गया है। हमारी साणंद यूनिट हमारी क्षमताओं और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता दोनों में एक बड़ा निवेश है। ये अनुबंध न केवल हमारे ग्राहकों के विश्वास को दर्शाते हैं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका को भी उजागर करते हैं। हाई-टेक पाइप्स ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंपनी ने विंड फार्म, सोलर प्लांट और दूसरे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील पाइप्स का सप्लाई ऑर्डर हासिल किया है। ये पाइप्स बहुत मजबूत और टिकाऊ हैं और इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई-टेक पाइप्स का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स न सिर्फ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं बल्कि उनसे भी आगे हैं। नए समझौते के साथ, हम स्टील पाइप बनाने वाले उद्योग में अपनी स्थिति को और मजबूत करते हुए, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

भीम

LiFE
Lifestyle for Environment

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः 470.यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)

ई-मेलः rorpcbudaipur@gmail.com, फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः- मैसर्स धरतीधन एक्सपोर्ट., एम.एल.न. 141/2010 (क्षेत्रफल 4.00 हैक्टेयर) ''क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार'', ग्राम-हरियाव, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित क्रिया जाता है कि मैसर्स धरतीधन एक्सपोर्ट., एम.एल.न. 141/2010 (क्षेत्रफल 4.00 हैक्टेयर) ''क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार'', ग्राम-हरियाव, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 141/2010, क्षेत्रफल 4.00 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 178572 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध हैः-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।

2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।

3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर।

4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)

5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।

6) उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर, जिला-उदयपुर।

7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 23.09.2024 (सोमवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र गुपड़ी, ग्राम-हरियाव, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

नीलामी की शर्तेः- 1. उपरोक्त
बोलीदाता के मामले में क
निविदा दी गई है का विवर
शर्तों सहित होने पर निविदा
अधिकतम बोली को स्वीक
क्रेता को प्राधिकृत अधिका
किसी/समस्त ऑफर को स
''जैसी है-जहां है, ''जैसी है
रूपये प्रति वर्गफीट के हिसा
बिक्री प्रमाण-पत्र निविदाक
ऋणियों/जमानतदारों को उ
नोटः- एतद् द्वारा ऋणियों औ
दिनांक : 20.08.2024
स्थान : उदयपुर